वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध महानिदेशालय

दिनांक 9 जनवरी, 2012

<u>व्यापार नोटिस सं. 1/2012</u>

1. वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 6 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में जांच को शासित करने वाले सिद्धांतों को विनिर्दिष्ट किया गया है। नियम 6 (4) में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कोई भी सूचना मांग सकता है और ऐसी सूचना उस व्यक्ति द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अथवा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर लिखित में प्रस्तुत की जाएगी।

3. इसके अनुसरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच प्रारंभ करने के नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सभी हितबद्ध पक्षकारों को 40 दिनों की समय अवधि प्रदान कर रहे हैं। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि कुछ हितबद्ध पक्षकार जांच की अंतिम अवस्थाओं के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास सूचना/आंकड़े दाखिल करते हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी की जानी है, इसलिए विलंब से प्रस्तुत करने का जांच की प्रक्रिया पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे तत्काल पूरी करना अपेक्षित होता है।

4. अतः यह निर्णय लिया गया है कि किसी पक्षकार को जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए जांच शुरू करने के नोटिस के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर एक अनुरोध दाखिल किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध

पक्षकारों की एक सूची जांच शुरू करने के नोटिस के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर रखी जाएगी। बाद की अवस्था में इसके लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. सभी हितबद्ध पक्षकारों को अनुरोध दाखिल करने के लिए एक जांच में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुसरण करने का परामर्श दिया जाता है।

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा परस्पर सुविधा के अनुसार संगत अनुरोध (अगोपनीय) संबंधी एक सार्वजनिक फाइल निरीक्षण के लिए रखी जाएगी।

7. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक मौखिक सुनवाई की जाएगी। ऐसी मौखिक सुनवाई में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुत सूचना उस पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को सुनवाई के 5 दिनों के भीतर लिखित में प्रस्तुत की जाएगी। हितबद्ध पक्षकार ऐसे अनुरोधों की प्रतियां निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित किसी दिन प्राप्त कर सकते हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमत ऐसी अवधि के भीतर खंडन, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

8. किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी साक्ष्य अथवा कोई अन्य अनुरोध निर्दिष्ट प्राधिकारी को पर्याप्त संख्या में प्रतियों में (हितबद्ध पक्षकारों की संख्या + 5) प्रदान किया जाएगा।

9. हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रदान की गई किसी भी सूचना का अंग्रेजी अनुवाद सूचना प्रदाता द्वारा साथ में प्रदान किया जाएगा, ऐसा न होने पर सूचना अमान्य मानी जाएगी।

10. सभी प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकार एक जांच में उनके द्वारा दाखिल किए गए अनुरोधों की एक सॉफ्ट कॉपी (गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ, दोनों की एमएस वर्ड फॉर्मेट में) भी प्रदान की जाएगी।

11. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुरोधों का अगोपनीय पाठ, निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रेषित करते समय सभी अन्य प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकारों को साथ में प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध दाखिल करते समय एक

पुष्टि संलग्न की जाएगी। यदि अनुरोध के साथ पुष्टि संलग्न नहीं की जाएगी तो अनुरोध को "ऑन रिकार्ड" नहीं माना जाएगा।

(संतोष कुमार)
उप सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में : सभी संबंधित